दूरभाष
कार्यालय (07805) – 234541
निवास (07805) – 244110
फैक्स (07805) – 234540
email-dmsingrauli-mp@mail.nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,जिला–सिंगरौली(म.प्र.)

सिंगरौली दिनांक 06 अक्टूबर 2018

आदेश

(अंतर्गत कोलाहल नियंत्रण अधिनियम,1985)

क्रमांक/1026/आर.डी.एम./निर्वाचन/2018, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेसनोट कमांक ECI/PN/66/2018 Dated 06 October, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2018 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित जिला सिंगरौली में भी दिनांक 06 अक्टूबर 2018 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। सामान्यतः यह पाया गया है कि निर्वाचन प्रकिया के दौरान प्रचार–प्रसार आदि के लिये अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है जो सामान्य नागरिकों को परेशान कर देता है एवं उन्हें गम्भीर असुविधा का सामना करना पड़ता है। विशेषकर छात्रों की पढ़ाई तथा रोगी एवं बृद्धों को गम्भीर असुविधा होती है। जहां प्रजातांत्रिक प्रकियाओं के लिये अभिव्यक्ति का अधिकार महत्वपूर्ण है, वहीं इस अधिकार को इस प्रकार परिभाषित किया जाना भी आवश्यक है कि वह सामान्य जन मानस को मानसिक, शारीरिक क्लेश न पहुंचाये।

2– अतएव विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने एवं निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में लोक प्रशांति बनाये रखने के उद्देश्य से मैं अनुराग चौधरी, जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली एतद् द्वारा सम्पूर्ण जिला सिंगरौली में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 06.10.2018 से दिनांक 13.12.2018 तक के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि–

1. कोई भी व्यक्ति तथा उम्मीदवार, इलेक्शन एजेन्ट, या रजनैतिक दलों के सदस्य एवं समर्थक आदि ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लोक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग उक्त आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में केवल 1/4 वाल्यूम (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक–10 डी.बी.ए. से अनधिक) ही प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा केवल **"विहित प्राधिकारी" (अनुविभागीय दण्डाधिकारी)** की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही कर सकेगा।

2.1 रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र या लोक सम्बोधन प्रणाली का उपयोग नही किया जावेगा एवं उक्त अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

2.2 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा -5 के उपबन्धों के तहत कोलाहल प्रतिबंधित शांत क्षेत्रों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, निर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेन्ज, न्यायालयीन क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थाओं, क्षात्रावासों, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालयों, बैकों तथा अन्य क्षेत्र जिन्हें शांत क्षेत्र घोषित किया जाये ऐसे स्थानों से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। उपरोक्त स्थानों से 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

2.3 ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किसी भी खुले स्थल या लोक स्थल में टेप या अन्य प्रकार के पूर्व से रिकार्ड की हुई संगीत या आवाज को बजाने के लिये नहीं किया जा सकेगा।

3.1 इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अधिनियम की कण्डिका 2घ के तहत "समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों" को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत **"विहित प्राधिकारी"** घोषित किया जाता है।

3.2 उक्तानुसार विहित प्राधिकारी, ध्वनि विस्तारक यंत्र, लोक सम्बोधन प्रणाली को अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों के अंतर्गत चलाये जाने की अनुज्ञा उनके सम्मुख सकारण कम से कम एक दिवस पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर दे सकेंगे। उनके द्वारा दी गई अनुज्ञा इस आदेश की कण्डिका 2.1, 2.2, व 2.3 एवं अधिनियम की धारा 5(2), 7(1), व 7(2) में उल्लेखित शर्तो के अधीन ही दी जावे। किसी कार्यकम विशेष में दो घंटे से अधिक अवधि के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति न दी जाय। उक्त अनुमति इस शर्त पर दी जावे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से इस अधिनियम में परिभाषित "कोलाहल" उत्पन्न न हो। उक्त के अधीन विहित प्राधिकारी अनुज्ञा की परिस्थिति के अनुरुप विनियमित कर सकेंगे।

3.3 यह प्रतिबंध प्रशासन की ओर से घोषणाएं करने पर लागू नहीं होगा।

इस आदेश तथा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का उल्लंघन किया जाना अपराध होगा। जो कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास दुष्प्रेरणा से करेगा वह उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत शास्ति, 06 (छः) माह तक के कारावास या 1000/ रुपये के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत हेड कांस्टेबल व उससे वरिष्ट किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों/सामग्री को अधिग्रहित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 06 अक्टूबर 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(अनुराग चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला-सिंगरौली(म0प्र0)

पृ0क्रमांक/1027/आर.डी.एम./निर्वाचन/2018, सिंगरौली दिनांक 06 अक्टूबर 2018

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग वल्लभ भवन भोपाल।
3. कमिश्नर, रीवा सम्भाग रीवा।
4. आई.जी. रीवा रेंज रीवा।
5. पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया थाना प्रभारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सिंगरौली।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) समस्त जिला सिंगरौली।
8. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सिंगरौली।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त) आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
10. तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. थाना प्रभारी (समस्त) ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर भी करावें।
12. मान्यता प्राप्त/गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल..... समस्त की ओर सूचनार्थ।
13. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशानार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला-सिंगरौली(म0प्र0)